न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 15/2021

तारीख 12.2.2021

01. कमला पत्नि शिवदयाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. शिवदयाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. शंकर पिता उदयलाल जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मालीपुरा चौराहा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सुरेश पिता रतनलाल जाति सोनी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पथिक नगर प्लान न0 2 बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. पुरूषोतम पिता कन्हैयालाल जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी हॉस्पीटल रोड बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्रभुलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. हरिशचन्द्र पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा नौकरी निवासी लक्ष्मीखेडा हाल मुकाम कोर्ट के सामने वाली गली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांकः 12.2.2021

प्रार्थना पत्र हम कमला पत्नि शिवदयाल जाति धाकड, शिवदयाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि **मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 762 पर अंकित आराजी संख्या 2017/1179 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 762 पर अंकित आराजी संख्या 2017/1179 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

FROM 111

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम वगैराह

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र 111–128 राज0ले0रे0 एक्ट मुकदमा नं0 15 सन् 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-2-21	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र स्वामित्व बाबत् नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिससे जाहिर होता है कि पत्थर गढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट स्वीकार किया है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्रावली निर्णित शुमार समझी जाकर नम्बर से कम की जावें। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा **उपखण्ड अधिकारी** **बिजौलियाँ**	